

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद,
रूडकी, हरिद्वार।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 21 नवम्बर, 2016

विषय: परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में तैनात कार्मिकों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक दरों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3787/उप्राशिप/पा.द.संशो./2015-16 दिनांक 21.10.2015 एवं पत्र संख्या-7224/उप्राशिप/पा.द.संशो./2015-16 दिनांक 11.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों की वर्तमान प्रचलित पारिश्रमिक दरों को सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	मद	उत्तराखण्ड में प्रचलित वर्तमान दरें	अनुमोदित दरें
1	2	3	4
1	मुख्य नियंत्रक (मूल्यांकन)	एक मुश्त रू. 900/-	रू. 5000.00 (पूर्ण सेमेस्टर परीक्षा हेतु)
2	पर्यवेक्षक	एक मुश्त रू. 900/-	रू. 2500.00 (पूर्ण सेमेस्टर परीक्षा हेतु)
3	उप नियंत्रक	रू. 38/-प्रतिदिन (अधिकतम रू. 750)	रू. 375/-प्रतिदिन अधिकतम रू. 3750/-
4	सह उप नियंत्रक		रू. 250/-प्रतिदिन अधिकतम रू. 2500/-
5	सहायक नियंत्रक/सह कक्ष नियंत्रक	रू. 30/-प्रतिदिन (अधिकतम रू. 600)	रू. 1500.00 प्रतिदिन
6	लिपिक		रू. 63/-प्रतिदिन अधिकतम रू. 625/-
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रू. 8/-प्रतिदिन (अधिकतम रू. 250)	रू. 44/-प्रतिदिन अधिकतम रू. 440/-
8	सफाई कर्मचारी	रू. 8/-प्रतिदिन	रू. 750.00 पूर्ण सेमेस्टर परीक्षा हेतु
9	मूल्यांकन केंद्रों पर आकस्मिक व्यय		रू. 33/- प्रति परीक्षक
10	प्रश्न पत्र निर्माण	रू. 750/- प्रति प्रश्न पत्र	रू. 1500.00 प्रति प्रश्न पत्र
11	मॉडरेशन कार्य/परिमार्जक कार्य	रू. 350/-प्रतिदिन	रू. 625/- प्रति प्रश्न पत्र
12	उप प्रधान परीक्षक		रू. 375/- प्रति दिन
13	उत्तर पुस्तिकाओं को जांचना	रू. 7.50/-प्रति उ.पु. (न्यूनतम रू. 300)	रू.14.00 प्रति उ.पु. न्यूनतम रू. 600/-

क. सं.	मद	उत्तराखण्ड में प्रचलित वर्तमान दरें	अनुमोदित दरें
1	2	3	4
14	क्रियात्मक एवं मौखिक (केवल वाह्य परीक्षक)	रु. 7.50/-प्रति छात्र 3 घंटे तक (न्यूनतम रु. 150.00) रु. 9/-प्रति छात्र 3 घंटे से अधिक (न्यूनतम रु. 250.00)	रु. 10.00 प्रति छात्र
15	अनुवाद हिन्दी में	रु. 225/- प्रति प्रश्न पत्र	रु. 500.00 प्रति प्रश्नपत्र
16	उत्तर पुस्तिकाओं की स्कीनिंग	रु. 2.25/-प्रति उ.पु.	रु. 5.00 प्रति उत्तर पुस्तिका
17	अनुचित साधन प्रयोग की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच	रु. 9/-प्रति उ.पु.	रु. 15.00 प्रति उत्तर पुस्तिका
18	कापियों के अकों को जांचना तथा मार्कशीट से मिलाना	रु. 0.40/-	रु. 0.50 प्रति उत्तर पुस्तिका
19	केन्द्र अधीक्षक/व्यवस्थापक	रु. 900/- एक मुश्त पूरी परीक्षा हेतु	रु. 2500.00 पूर्ण सेमेस्टर परीक्षा हेतु
20	अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक	रु. 750/- एक मुश्त पूरी परीक्षा हेतु	रु. 1500.00 पूर्ण सेमेस्टर परीक्षा हेतु
21	कक्ष निरीक्षक	रु. 23/- प्रति पाली	रु. 44.00 प्रति पाली
22	परीक्षा सहायक	"	रु. 50.00 प्रति पाली
23	परीक्षा केंद्र पर लिपिक वर्ग के लिए पारिश्रमिक	रु. 17/- अधिकतम रु. 350/-	रु. 44.00 प्रतिदिन
24	परीक्षा केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक	रु. 8/- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अधिकतम रु.250/-	रु. 32.00 प्रतिदिन
25	परीक्षा केंद्र का व्यय		रु. 7/- प्रति छात्र
26	बण्डल वाहक		रु. 38/-प्रतिपाली
27	स्कूटनी		रु. 625/-प्रति सैकडा
28	परितुलन (कोलेशन) का कार्य/ तुलनात्मक सन्नरीक्षा	रु. 0.75/-प्रति छात्र	रु. 0.40 प्रति उ.पु.
29	अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरणों के निस्तारण समिति के सदस्यों का मानदेय प्रतिदिन		रु. 75 प्रतिदिन
30	मूल्यांकन कार्य अवधि के लिए दैनिक भत्ता प्रतिदिन		रु. 38/- प्रतिदिन
31	मूल्यांकन केंद्र पर अंकेक्षण		रु. 5/-प्रति उ.पु. प्रति युग्म
32	मूल्यांकन प्रयोगात्मक परीक्षा		रु. 10/- प्रतिछात्र न्यूनतम रु. 470/-
33	परिषद परीक्षाओं का अधिकतम देय पारिश्रमिक की सीमा (सभी श्रेतों से एक वर्ष हेतु)		रु. 25000/-
संकलन केन्द्रों पर व्यय			
34	मुख्य नियंत्रक (संकलन केंद्र)		रु. 57/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 1250/-
35	उप नियंत्रक		रु. 50/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 1000/-
36	सह उप नियंत्रक		रु. 38/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 750/-
37	कोठारी		रु. 38/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 625/-

क्र. सं.	मद	उत्तराखण्ड में प्रचलित वर्तमान दरें	अनुमोदित दरें
1	2	3	4
38	लिपिक		रु. 25/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 563/-
39	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		रु. 13/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 375/-
40	आकस्मिक व्यय		रु. 3125 प्रति संकलन केंद्र
41	मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित शुल्क प्रति विषय		रु. 400/- प्रति विषय
उप संकलन केन्द्रों पर व्यय			
42	उप नियंत्रक		रु. 38/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 625/-
43	सह उप नियंत्रक		रु. 32/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 563/-
44	कोठारी		रु. 32/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 438/-
45	लिपिक		रु. 32/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 438/-
46	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		रु. 13/- प्रतिदिन अधिकतम रु. 375/-
47	आकस्मिक व्यय		रु. 1563 प्रति संकलन केंद्र

2- उक्त धनराशि परिषद की सामान्य निधि से वहन किया जायेगा। संबंधित मदों में शासकीय निधि की कदापि मांग नहीं की जायेगी।

3- इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेशों को एतदसीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-137(P)/XXVII(7)/2016-17, दिनांक: 10, नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 1633 (1)/XLI-1/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालिटेक्निक, उत्तराखण्ड (द्वारा परिषद)।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सुनील सिंह)
उप सचिव।